




फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

अदला बल्द सादी जाति-मुसलमान वनाम औपसिंह/ शेखरसिंह जाति-राजपूत
 नि. नागड़दा तह. - शिव नि. नागड़दा तह. - शिव
 वगेरा (4)

किस्म मुकदमा राज. उ. वि. न. अधि. मुकदमा नम्बर 217 / 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
19/11/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री <u>नरेन्द्र सिंह सियागा (Adv.)</u> ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/12/2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
21/12/20	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनु.। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के नोटिसों का इन्जार् लेकर पत्रावली आइदा दि. 8/2/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	
8/1/21	<p>पत्रावली आज पेश हुई। आज हम दिगर कार्यों में व्यस्त हैं अतः इतला होकर पत्रावली आईन्दा वास्त अग्रिम कार्यवाही दि. 12/1/21 को पेश हो।</p>	
12/1/21	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता अनु.। विप्रार्थीगण के नोटिसों का इन्जार् लेकर पत्रावली आइदा दि. 27/1/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर (SDO) शिव </p>	



व
तामील
म
की
तामील
में

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनि</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
-----------------------	---------------------------------	---

2

14.8.25

पत्रावली पेशा/ उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित/ अनुपस्थित।
पत्रावली बास्ते विद्यार्थीगण के जबाब हेतु
सबसे दिनांक 6.8.25 को
पेशा हो

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

6.8.25

पत्रावली पेश हुई।
प्राथी/ विद्यार्थी अधिवक्ता उपस्थित/ अनुपस्थित।
पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने व
कारण इत्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार
दिनांक 03.09.25 को पेश हो।

03.09.2025

पत्रावली पेशा/ उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित/ अनुपस्थित।
पत्रावली में उभावी चैरवी हेतु डार्फी व
उभयपक्ष अधिवक्ता को न्यायालय समय में
रुक-रुककर साबजे ही जाने के बावजूद
अनुपस्थित भना पत्रावली में कोई उभावी
चैरवी नहीं होने तथा डार्फी व उभयपक्ष अधिवक्ता
के अनुपस्थित रहे पर उक्त साबेदन अरम
हाजरी व अरम चैरवी में खारिज किया जाता है
पत्रावली नम्बर से उम खेतर टाबिल
दखतर हो

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव